न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–156/2011

CIS NO. TS 659/2018

कन्हैया पाण्डेय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

डॉ रुकसाना आजम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.03.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। प्रतिवादिगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.09.2024 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10(2) एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद स्वामित्व एवं अधिकार घोषित हेतु लाया गया है। प्रतिवादी सं0–02 जो प्रतिवादी सं0–01 का पॉवर ऑफ एटर्नी का धारक है, प्रतिवादी सं0–02 का बिना परीक्षण लिये ही प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर दिया गया, जिससे प्रतिवादी सं0–01 नाराज होकर प्रतिवादी सं0–02 से पावर ऑफ एटर्नी से हटाकर रजनीश राय पिता– स्व0 देवेन्द्र राय को अपना पावर ऑफ एटर्नी घोषित किया है तथा रजनीश राय को पक्षकार बनाने का प्रार्थना किया गया है। वादीगण की ओर से आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 की ओर से 06.03.2024 को विशेष पावर ऑफ एटर्नी बनाया गया, जिसका छायाप्रति अभिलेख पर दाखिल किया गया है। लेहाजा आवेदन में वर्णित व्यक्ति वाद के आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन In the case of **Janki Vasdev Bhojwani and another Vs. Indusined Bank Ltd. AIR 2005(2) Sec. 217** and in the case of **the chairman, Njmc vs Umesh Kumar Chamaria, March 2022 Hon'ble High Court, Patna** के आदेश के आलोक में कहा गया	

न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–156/2011

CIS NO. TS 659/2018

कन्हैया पाण्डेय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

डॉ रुकसाना आजम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 25.03.2025	है कि आदेश–03 नियम–01 और 02 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जिसे पावर ऑफ एटर्नी बनाया जा रहा है। वह अपने मालिक के लिए पक्ष न्यायालय में रख सकता है। इसी आलोक में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा रजिस्ट्रर्ड पावर ऑफ एटर्नी दिनांक 24.01.2024 को रजनीश राय के पक्ष में निर्गत की गई है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रजनीश राय व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 03 नियम 01 और 02 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पक्षकार बनाया जा सकता है। अतः प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन दिनांक 13.09.2024 को स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी सं0–02 का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके जगह पर रजनीश राय को प्रतिवादी सं0–02 बनाया जाता है। दिनांक 05.04.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	